भारत सरकार

सूचना और प्रसारण मंत्रालय

लोक सभा

तारांकित प्रश्न संख्या *153

(दिनांक 30.07.2025 को उत्तर देने के लिए)

ओटीटी प्लेटफार्मों का विनियमन

***153. श्रीमती स्मिता उदय वाघः**

सुश्री कंगना रनौतः

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने अश्लील, व्यस्क, हिंसापूर्ण अथवा सांस्कृतिक रूप से संवेदनशील सामग्री के प्रसार को रोकने और कानूनी तथा नीतिपरक मानकों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए ओवर-द-टॉप (ओटीटी) प्लेटफार्मों को विनियमित करने के लिए प्रभावी उपाय किए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यवर्ती दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियम, 2021 की अधिसूचना के बाद से ओटीटी प्लेटफार्मों पर विशेषकर बच्चों और महिलाओं से संबंधित अश्लील, भ्रामक या हानिकारक सामग्री के बारे में प्राप्त शिकायतों की संख्या का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या निर्धारित आचार संहिता के उल्लंघन के कारण किन्हीं विशिष्ट ओटीटी प्लेटफार्मों को दण्डित किया गया है, चेतावनी दी गई है अथवा ऐसी सामग्री को हटाए जाने के नोटिस जारी किए गए हैं; और

(घ) यदि हां, तो प्लेटफार्मों के नाम, उल्लंघनों की प्रकृति और लगाए गए दंड सहित ऐसी कार्रवाइयों का ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार विशेष रूप से संवेदनशील और व्यस्क विषयों वाली ओटीटी सामग्री से संबंधित लोक शिकायतों का समय पर निवारण सुनिश्चित करने के लिए एक स्वतंत्र विनियामक प्राधिकरण का गठन करने अथवा मौजूदा निगरानी तंत्र को सुदृढ़ करने पर विचार कर रही है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

रेल, सूचना और प्रसारण एवं इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री

(श्री अश्विनी वैष्णव)

(क) से (ङ): एक विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

ओटीटी प्लेटफार्मों के विनियमन के संबंध में दिनांक 30.07.2025 के लोकसभा में उत्तर दिए जाने वाले तारांकित प्रश्न संख्या *153 के भाग (क) से (ङ) के उत्तर में संदर्भित विवरण

सरकार ने आईटी अधिनियम, 2000 के तहत दिनांक 25.02.2021 को सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यवर्ती दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया, आचार संहिता) नियम, 2021 को अधिसूचित किया है।

- इन नियमों के भाग-III में डिजिटल समाचार प्रकाशकों और ऑनलाइन सृजित सामग्री (ओटीटी प्लेटफॉर्म) के प्रकाशकों के लिए आचार संहिता का प्रावधान है।
- ओटीटी प्लेटफॉर्मों पर यह दायित्व है कि वे ऐसी कोई भी सामग्री प्रसारित न करें जो वर्तमान में लागू कानून द्वारा प्रतिबंधित हो।
- ओटीटी प्लेटफॉर्म नियमों की अनुसूची में दिए गए सामान्य दिशानिर्देशों के आधार पर सामग्री का आयु-आधारित स्व-वर्गीकरण करने के लिए बाध्य हैं, जिसमें नग्नता और यौन और हिंसा संबंधी चित्रण से संबंधित प्रावधान शामिल हैं।
- ओटीटी प्लेटफॉर्मों पर बच्चों की आयु के हिसाब से अनुपयुक्त सामग्री को प्रतिबंधित करने के लिए पर्याप्त सुरक्षा उपाय लागू करने का भी दायित्व है, जिसमें पर्याप्त पहुँच नियंत्रण उपाय भी शामिल हैं। इसके अलावा, आईटी अधिनियम, 2000 की धारा 79(3)(ख) में प्रावधान है कि संबंधित सरकारें किसी गैरकानूनी कृत्य या सामग्री की सूचना मध्यस्थों को देंगी ताकि ऐसी सामग्री तक पहुँच को हटाया/निष्क्रिय किया जा सके।

सरकार ने ओटीटी प्लेटफार्मों और ओटीटी प्लेटफार्मों के स्व-विनियामक निकायों को अपने प्लेटफार्मों पर सामग्री की होस्टिंग करते समय भारतीय कानूनों और आईटी नियम, 2021 के तहत निर्धारित आचार संहिता का पालन सुनिश्चित करने के लिए दिनांक 19.02.2025 को एडवाइजरी जारी किया है।

संबंधित मंत्रालयों के साथ उचित परामर्श के बाद अब तक 43 ओटीटी प्लेटफॉर्मों को ब्लॉक कर दिया गया है।

****